



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /  
Ministry of Environment, Forest & Climate Change  
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /  
Regional Office, Dehradun



25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001  
दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 8 बी/यू.सी.पी./06/112/2018/एफ.सी.

दिनांक: 22 /08/2024

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी  
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय: जनपद -चम्पावत में चारधाम परियोजना के अंतर्गत टनकपुर-पिथौरागढ़ एन.एच. 125 (नया 09)  
चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु 8.94 हे० वन भूमि का सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को  
प्रत्यावर्तन। (Online Proposal no. FP/UK/ROAD/31090/2017).

सन्दर्भ: कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक 42/12-  
1: देहरादून: दिनांक 04-07-2024.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव पर आर.ई.सी. की बैठक दिनांक 27.10.2023 में चर्चा की गई थी जिसमें राज्य सरकार से चार बिन्दुओं पर सूचना चाहिए गई थी, जिसका उत्तर संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित किया गया है, प्रस्ताव में अभी भी कुछ त्रुटियाँ पाई गयी हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि निम्नांकित बिन्दुओं पर अभिलेख/दस्तावेज इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें:-

1. The CA is proposed over Degraded Forest Land and as per the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules 2023, the CA area is required to be provided over Non-forest Land.
2. Detailed reclamation plan for muck dumping area shall be submitted.
3. As per the DSS analysis, the proposed diversion area becomes 23.58 ha instead of 8.94 ha. It shall be rectified.

उपरोक्त के क्रम में जवाब प्राप्ति के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

भवदीया,

Signed by Neelima Shah

Date: 22-08-2024 12:49:58

(नीलिमा शाह, भा०व०से०)

सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।